



बिहार सरकार
कृषि विभाग

e- Mail : adldir.agro@gmail.com

कार्यालय अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार

Website : www.krishi.bih.nic.in

दूरभाष / फ़ैक्स सं० : 0612-2215485

पत्रांक - कृ० प्र० किसान सलाहकार 14/2016

/कृ०, प्रसार पटना, दिनांक 2018

प्रेषक,

धनन्जय पति त्रिपाठी
अपर निदेशक (शष्य),
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी,
जमुई / गोपालगंज / सहरसा / भागलपुर / दरभंगा / पूर्वी चम्पारण, (मोतिहारी)।

निबंधित
ई०मेल

विषय :-

अनुग्रह अनुदान हेतु बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि-कर्म, उप मुख्य शीर्ष -00, लघु शीर्ष-109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, माँग संख्या-01, उप शीर्ष- 0106- इनटेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, बिपत्र कोड-01-2401001090106, विषय शीर्ष-0106.28.02-संविदा सेवाएँ मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित राशि से उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक-341 दिनांक-21.03.2018, जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज का पत्रांक-833 दिनांक-13.04.2018, जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा का पत्रांक-746 दिनांक-12.04.2018, जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर का पत्रांक-1577 दिनांक-31.05.2018, जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा का पत्रांक-847 दिनांक-21.04.2018 एवं पत्रांक-842 दिनांक-21.04.2018 तथा जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का पत्रांक-1700 दिनांक-09.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कृषि विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या- 171, दिनांक-29.08.2018 द्वारा स्वीकृत एवं पत्र संख्या-03/कृ०बजट-आवंटन-07/2018-07(आवंटन) दिनांक-05.10.2018 द्वारा आवंटित राशि के आलोक में किसान सलाहकार की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु उपरान्त अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु देय राशि मो० 4,00,000 (चार लाख) रुपये मात्र की दर से कुल आवंटित राशि मो० 60,00,000 (साठ लाख) रुपये मात्र से कुल 32,00,000 (बत्तीस लाख) रुपये मात्र निम्न प्रकार से उप आवंटित की जाती है

:-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	विपत्र कोड	किसान सलाहकार का नाम	प्रखंड का नाम	अनुग्रह अनुदान की राशि
1	जिला कृषि पदाधिकारी जमुई	01-2401001090106	स्व० कुन्दन कुमार मौर्य	जमुई	4,00,000
2	जिला कृषि पदाधिकारी गोपालगंज	01-2401001090106	स्व० तारकेश्वर हरिजन	विजयीपुर	4,00,000
3	जिला कृषि पदाधिकारी सहरसा	01-2401001090106	स्व० प्रांजल कुमार मिश्रा	नवहट्टा	4,00,000
4	जिला कृषि पदाधिकारी भागलपुर	01-2401001090106	स्व० अवधेश कुमार	बिहपुर	4,00,000

5	जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा	01-2401001090106	स्व0 प्रमिला चौधरी	हायाघाट	4,00,000
6	जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा	01-2401001090106	स्व0 गिरीशचन्द्र झा	बेनीपुर	4,00,000
7	जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा	01-2401001090106	स्व0 अमरेन्द्र कुमार	सिंहवारा	4,00,000
8	जिला कृषि पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, (मोतिहारी)	01-2401001090106	स्व0 मणिभूषण शर्मा	पिपरा कोठी	4,00,000
कुल राशि :-					32,00,000

कुल :- (बत्तीस लाख रुपये) मात्र

1. इस राशि का निकासी बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि- कर्म, उप मुख्य शीर्ष -00, लघु शीर्ष-109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, माँग संख्या-01, उप शीर्ष-0106- इनटेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, बिपत्र कोड 01-2401001090106, विषय शीर्ष - 0106.28.02 -संविदा सेवाएँ मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से की जायेगी।
2. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक- 2561 बि० (2) दिनांक- 17.04.1998 एवं पत्रांक- 3244 दिनांक- 04.05. 2018 के आलोक में दी जा रही हैं।
3. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. व्यय के तुरन्त बाद टी०भी० नम्बर के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
5. अनुग्रह अनुदान की राशि की भुगतान में विहित प्रक्रिया अपनायी जाएगी एवं अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान के पूर्व संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इसके पूर्व संबंधित किसान सलाहकार के मृत्युपरांत उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
6. प्रस्ताव पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(धनन्जय पति त्रिपाठी)

अपर निदेशक (शष्य)

बिहार, पटना।

ज्ञापांक..... 238 / क०, प्रसार पटना, 7/12/ 2018

प्रतिलिपि :-

1. कृषि निदेशक, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जमुई/गोपालगंज/सहरसा/भागलपुर/दरभंगा/पूर्वी चम्पारण, (मोतिहारी) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक (शष्य), दरभंगा/ मुंगेर/ भागलपुर/सहरसा/सारण(छपरा)/मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

अपर निदेशक (शष्य)
बिहार पटना।